12/06
24

पत्रावली पेश हुयी। वकील पक्षकारान की बहस सूनि गई। वकील वादी नें वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करतें हुये कथन किया था कि राजस्व ग्रम अलीपुर में लादुराम पुत्र ठण्डुराम ने सन् 1976 में वादी शिशपाल पुत्र रामचन्द्र राम को गोद ले लिया था जो अपनी अलीपुर स्थित भूमि खसरा नं0 28, 129, 244/1, 253, 215/1 में अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा वादी के पिता शिशपाल सिंह व उक्त शिशपाल सिंह के जायन्दा पिता की सन्तान दलीप सिंह व धर्मपाल सिंह के हक में दान पत्र दिनांक 03.01.1977 को तस्दीक करवा दिया था उक्त सम्पति के अलावा खसरा नं0 241/2 रकबा 4 बीघा एक बिस्वा पुख्ता व गुवाड़ी व नोहरा जिसमें एक बैठक पश्चिम देखती व चौबारा बना हुआ है जिसे अकेले शिशपाल सिंह को दान–पत्र के द्वारा दे दी गई इसके अलावा ग्रम खुडिया के भूमि खसरा नं0 411 रकबा 1.00 हैक्टे0 वादी के पिता शिशपाल को दी गई थी। जिस पर शिशपाल ने अपने पुत्र वादी को दी गई जिस वादी आज दिनांक तक मालिक काबिज काश्त है। इसलिये भूमि खसरा नं0 411 रकबा 1.00 हैक्टै0 मौजा ग्रम खुडिया की खातेदारी वादी के हक में घोषित कि जावे। वकील प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाब पेश कर वादी के हक में वाद डिक्री करनें में सहमति जाहिर गई है। पत्रावली, दस्तातेज व इकबालिया जवाब, शपथ पत्र/साक्ष्य आदि का अध्ययन करनें व बहस उभय पक्ष पर मनन करनें से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है जिस पर पक्षकारान आपस में राजीनामा करना चाहते है। अतः राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेंर) अधिनियम–1955 के नियम 19, आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में पक्षकारान के मध्य समझौता/राजीनामा के आधार पर वाद पत्र वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रम खुडियां के भूमि खसरा नं0 411 रकबा 1.00 हैक्टै0 में दर्ज खातेदार लादुराम पुत्र ठन्डुराम नाम हजफ किया जाकर मुताबिक राजीनामा काश्तकार घोषित किया जाता है और तहसीलदार चिड़ावा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गय

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा (झुंझुनू)